— ::: आदेश :::—

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत समूह 'ख' के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	शंकर सिंह, प्रवक्ता सिविल अभियन्त्रण	राजकीय पालीटेक्निक, ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
2.	राहुल सिंह, प्रवक्ता सिविल अभियन्त्रण	राजकीय पालीटेक्निक, प्रेमधर पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़	राजकीय पालीटेक्निक, बांगीपुर, नूरपुर, बिजनौर	स्वयं के अनुरोध पर
3.	विमलेश, प्रवक्ता सिविल अभियन्त्रण	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी	राजकीय पालीटेक्निक, ललितपुर	जनहित में

उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरूद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश कार्मिक विभाग के पत्रांक–5/2016/1/3/96–का–4–2016, दिनांक–11.05.2016 द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016–2017 एवं शासन के पत्रांक–1086/सोलह–2–2016–38(ई)/2016 दिनांक 02.06.2016 में निहित निर्देशों/प्रतिबन्धों/प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओ0पी0 वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

9708-28

पत्रांक– /ई–2–दी–265, कानपुर : दिनांक 30 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
4. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)/मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
9. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थायें, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।
12. प्रकरण सहायक (सेवा संबंधी), स्थापना अनुभाग।
13. प्रकरण सहायक, सी0आर0 ग्रुप।

(आर0सी0 राजपूत)
अपर निदेशक
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।